इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से 88 लाख की ठगी

रायपुर पुलिस 13 लाख ठगी के बाद ही पहुंची पर सहयोग नहीं लिया

- सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा व गिरफ्तारी का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट का बनाया शिकार

म्यूचुअल फंड से तुड़वाया

सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश और गिरफ्तारी की धमकी देकर प्रोफेसर का म्यूचुअल फंड भी तुड़वाया गया। रकम वापस करने के नाम पर 31 लाख की और मांग की गई। प्रोफेसर ने पत्नी के जेवर गिरवी रख बैंक से लोन लेकर रकम ट्रांसफर कर दी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राजधानी में जालसाजों ने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के बुजुर्ग प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 88 लाख रुपये की ठगी कर ली। खुद को टेलीकाम विभाग और पुलिस अधिकारी बताकर जालसाजों ने प्रोफेसर संतोष दबड़घाव (62) को मनी लांड्रिंग, मानव तस्करी और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों में फंसाने का डर दिखाया।

जब पीड़ित के खाते से संदिग्ध खातों में 13 लाख रुपये डाले गए थे, तब साइबर पुलिस को जानकारी हाथ लग गई थी। पुलिस की टीम ने जाकर पूछताछ भी की, लेकिन ठगों के जाल और डर की वजह से प्रोफेसर ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और कहा सब कुछ सामान्य है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। भाठागांव, जलगृह मार्ग स्थित अभिनंदन टावर निवासी प्रोफेसर संतोष को 19 जून से 16 जुलाई के बीच अलग-अलग तरीकों से जाल में फंसाया गया। शुरुआत में एक अज्ञात कालर ने खुद को बेंगलुरू टेलीकाम विभाग से बताया और कहा कि उनके मोबाइल नंबर से अपराध हुआ है। फिर एक अन्य नंबर से पुलिस अधिकारी बनकर बात करते हुए आरोपितों से बचाने फर्जी जांच की कहानी गढ़ी गई। जालसाजों ने आधार और मोबाइल नंबर के जरिये मानव तस्करी व मनी लांड्रिंग के आरोप लगाकर प्रोफेसर से उनकी बैंक जानकारी हासिल की। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। एक माह में प्रोफेसर से चार अलग-अलग खातों में 88 लाख ट्रांसफर करा लिए गए।

संबंधित खबर >> पेज 3 पर